रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012021-224265
CG-DL-E-07012021-224265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17, 1942
No. 08] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSHA 17, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 9(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो,(कम्प्यूटर और प्रणाली प्रभाग),कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी,(समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, कम्प्यूटर और प्रणाली प्रभाग में कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, कम्प्यूटर औरप्रणाली प्रभाग, कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हताएं.—** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल की जा सकती है ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किएगए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी।	16*(2020) कार्यभार के * आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा 'क' समूह , ,राजपत्रित अननुसचिव ।	स्तर-10 (₹ 56100-1,77,500/-)	चयन पद।	वर्ष से अधिक नहीं । 35 (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधियदि कोई , हो ।	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी / प्रोन्नति द्वारा /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से	लागू नही होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए और प्रोन्नत	**(i) 75** प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर

कम्प्यूटर एप्लिकेशन में मास्टर डिग्री या एमएससी.. कम्प्यूटर साइन्स या सूचना) या समतुल्य (प्रौद्योगिकी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीटेक.या बी .ई..कम्प्यूटर) इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना या समकक्ष (प्रौद्योगिकी अनुभव: सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग या कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या कम्प्यूटर नेटवर्किंग या डाटा बेस प्रबंधन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम डिज़ाइन या आईटी प्रोजेक्ट प्रबंधन में अर्हता के पश्चात तीन वर्ष का अनुभव।		किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत) (अल्पकालिन संविदा भी है द्वारा **(ii) 25** प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती जिसके अंतर्गत) अल्पकालिक संविदा भी हैं(द्वारा ।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वेश्रेणियाँ जिसमें से प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे डाटा प्रोसेसिंग सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर **7 (₹ 44900 – 142400/-)** में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के संस्थानों या स्वाशासी निकायों में दो वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरी कर ली है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे ।** **1.** अध्यक्ष या सदस्य (संघ लोक सेवा आयोग) - अध्यक्ष **2.** निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - सदस्य **3.** महानिदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - सदस्य **4.** निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे ।** **1.** निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - अध्यक्ष **2.** महानिदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - सदस्य **3.** निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुये हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (₹ 53100-167800/-) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (₹47600 – 151100/-) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण** 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. (035)/33/3/2019-प्रशा .II/एन.सी.आर.बी.]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2021

G.S.R. 9 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, Junior Staff Officer (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Staff Officer in the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, Junior Staff Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age - limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Staff Officer.	16* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service,Group'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection post.	Not exceeding 35 years.(relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Educational qualifications: Master's Degree in Computer Applications or M.Sc(Computer Science or Information Technology) or equivalent from a recognised University or Institute; OR B.E. or B.Tech. (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) or equivalent from a recognised University or Institute. **Experience:** Three years post qualification experience of electronic data processing or computer programming or computer networking or database management or system administration or system design or Information Technology project management in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body or in any recognised institution.	Not applicable.	One year for direct recruits and promotees.	(i) 75 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 25 percent by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Data Processing Assistant with three years regular service in the level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix and have successfully completed training of 2 (two) weeks in Network Administration or System Analysis and Design from any Central Government or State	**Group 'A', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1.Chairman (Union Public Service Commission) or Member (Union Public Service Commission) – Chairman; 2.Director, National Crime Records Bureau - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Government Institutes or autonomous bodies. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800/-) or level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100/-); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1**:The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	3.Inspector General or Joint Director or Deputy Director, National Crime Records Bureau -Member; 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs – Member. **Group 'A', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Director, National Crime Records Bureau – Chairman; 2.Inspector General or Joint Director or Deputy Director, National Crime Records Bureau – Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs – Member.	

Note 3:The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F.No. (035)/33/3/2019-Ad.II/NCRB]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM